न्यायालय : विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो–प्रथम, ज्ञानपुर–भदोही

उपस्थित : लोकेश कुमार मिश्रा (एच.जे.एस.)

जमानत प्रार्थनापत्र सं० 255 सन् 2026

CNR No.UPSN01–000770–2026

शुभम बिन्द उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र जयपाल बिन्द निवासी ग्राम पाली गोदाम, थाना सुरियावां, जनपद भदोही।

......................प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य ....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–39 सन 2026

धारा –137(2), 87 बी०एन०एस०, थाना

ज्ञानपुर, जिला भदोही।

13.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त शुभम बिन्द की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 39 सन 2026 अन्तर्गत धारा– 137(2), 87 बी०एन०एस० थाना– ज्ञानपुर, जिला भदोही के प्रकरण में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की तहरीर थाने पर दी गई कि– प्रार्थी की लड़की, जो नाबालिक है। आज सुबह 4 बजे शौच के लिए घर से निकली थी कि विपक्षी शुभम पुत्र जयपाल निवासी पाली गोदाम थाना सुरियांवा, जिला भदोही गांव में उपस्थित रहा और मौका देखते ही मेरी पुत्री को भगा ले गया।प्रार्थी व परिवार के लोग इधर–उधर बहुत तलाश किये, नात –रिश्तेदारो के यहां पता किया किन्तु अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। मुझे आशंका है कि मेरी पुत्री के साथ विपक्षी यौन शोषण, मार पीट आदि घटना कारित कर सकता है जिसके बावत प्रार्थी सूचना दे रहा है। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थना है इसके पूर्व उक्त अपराध संख्या व धारा में अभियुक्त/प्रार्थी के द्वारा न तो न्यायालय में न तो इसके समकक्ष किसी अन्य न्यायालय में और न उच्च न्यायालय में न तो दाखिल किया गया है और न ही विचाराधीन है, न ही खारिज किया गया है। प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र अपर मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट भदोही के न्यायालय से दिनांक 07.03.2026 ई० को सरसरी तौर पर खारिज किया गया है। प्रार्थी विगत् लगभग 03 वर्ष से सूरत शहर में रहकर सचिन स्टेशन पाली गांव में स्थित साड़ी कम्पनी में कपड़े की मशीन पर हेल्परी का काम किया करता है व प्रार्थी नियमित रूप से अपने कम्पनी में समय सुबह 09:00 बजे जाता है और शाम को लगभग 09:00 बजे वापस अपने रूम पर आता है। प्रार्थी शादी–विवाह या विशेष कार्य–प्रयोजनों में ही अपने घर आता है। प्रार्थी का वादी मुकदमा या उसके परिवार वालों से कभी कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा और न ही प्रार्थी वादी मुकदमा के घर आता जाता ही था और न ही प्रार्थी का कोई वादी मुकदमा रिश्तेदार ही है। प्रार्थी दिनांक 25.02.2026 ई0 को सूरत शहर से अपने घर रिश्तेदारी में शादी होने के कारण घर वालों के बुलाने पर अपने घर वापस आया था। प्रार्थी के घर पहुंचने पर थाना ज्ञानपुर की पुलिस के द्वारा बुलाये जाने पर दिनांक 25.02.2026 ई० को अपने बड़े भाई अशोक के साथ थाना ज्ञानपुर गया तब थाना ज्ञानपुर की पुलिस के द्वारा बुलाने का कारण पूछे जाने पर प्रार्थी को कोई कारण नहीं बताया और प्रार्थी को दिन में लगभग 11:00 बजे थाने पर पहुंचने पर बैठाये रही और कोई कारण नहीं बताया और अगले दिन उपरोक्त मुकदमे में चालान कर दिया गया। प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त मुकदमे में वादी मुदकमा ने जिस प्रकार की कथानक का उल्लेख किया गया है वैसी कोई घटना प्रार्थी द्वारा न तो कारित की गयी है और न ही ऐसी किसी घटना के बारे में जानकारी ही है। प्रार्थी के द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को न तो बहला–फुसलाकर भगाया गया है और न ही किसी प्रकार वादी मुकदमा की लड़की के साथ न तो कोई भी विधि–विरूद्ध कार्य ही किया गया है, प्रार्थी निर्दोष है। उपरोक्त मुकदमे के वादी मुकदमा की रिश्तेदारी प्रार्थी के पड़ोस में है और उनके रिश्तेदारों से प्रार्थी व परिवार वालों का सम्बन्ध पूर्व से ही अच्छा नहीं रहा है और वे लोग प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालों से रंजिश रखते है क्योंकि प्रार्थी के पिता मन्द बुद्धि के है वह अक्सर शराब के नशे में गाली–गलौज किया करते है जिससे नाराज होकर विपक्षीगण अपने रिश्तेदारों को बहला–फुसलाकर उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थी को नामित कराया है जिसमें तनिक भी सत्यता नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है प्रार्थी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण किया करता है। प्रार्थी दिनांक 26.02.2026 ई0 से जिला कारागार ज्ञानपुर में निरूद्ध है। प्रार्थी के कारागार में निरूद्ध रहने से प्रार्थी की प्राईवेट नौकरी भी छुट सकती है और प्रार्थी बेरोजगार हो जायेगा जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालों के ऊपर दवा–इलाज, भरण–पोषण व शिक्षा–दीक्षा की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रार्थी के पिता व माता काफी मानसिक व शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य रहते हैं, जिसका दवा इलाज प्रार्थी के द्वारा ही किया जाता है। प्रार्थी के जेल में रहने से इनके स्वास्थ्य पर गम्भीर असर पड़ सकता है। प्रार्थी अपनी जमानत कराना चाहता है, उचित जमानत मुचलका देने को तैयार है,जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा, माननीय न्यायालय

द्वारा निश्चित तिथियों हाजिर अदालत आवेगा इसलिये प्रार्थी को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। उपरोक्त आधारों को व्यक्त करते हुये अंत में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कहा गया कि अभियुक्त के द्वारा पीड़िता को उसकी विधिक अभिरक्षा से बिना संरक्षक की सहमति से ले जाया गया है। अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त के जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है।

5. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं उपलब्ध सम्पूर्ण प्रपत्रों तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

6. पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. दर्ज किया गया। पीड़िता ने अपने बयान में कथन किया कि –" मेरी उम्र 18 वर्ष है। मैं कक्षा 9 तक पढ़ी हूँ। मैं शुभम से लगभग 01 वर्ष से बातें करती थी। दिनांक 19/02/2026 को सुबह लगभग 06.30 AM के आस–पास मै अकेले घर से बिना किसी को बताये निकल गयी। आटो में बैठकर मै गोपीगंज पहुंची, जहाँ मुझे शुभम मिला । फिर हम दोनों बस में बैठकर इलाहाबाद बस स्टैण्ड पहुँचे। फिर हम दोनों इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पहुँचकर ट्रेन में बैठकर सूरत पहुँचे। फिर हम दोनों जा रहे थे थे तो रास्ते में हम दोनों को शुभम का भाई पकड़ लिया। उसी दिन दिनांक 24/02/2026 को शुभम का भाई हमदोनों को अपने साथ लेकर सूरत रेलवे स्टेशन पर पहुँचा। वहां हम दोनों शुभम के भाई के साथ इलाहाबाद स्टेशन पहुंचे। फिर इलाहाबाद से ट्रेन में बैठकर हम तीनों ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे। फिर आज दिनाक 26/02/2026 को सुबह हम लोग थाना ज्ञानपुर आये। प्रश्न पूछे जाने पर की क्या शुभम आपके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया है, पीड़िता बयान दिया है कि हां, शुभम मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध मेरी मर्जी से बनाया है।"

7. पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. दर्ज किया गया। पीड़िता ने सशपथ बयान किया कि "मैं शुभम से एक साल से प्यार करती हूँ। वो भी मुझसे प्यार करता है। मैं दीदी के घर पाली सुरियावा गयी थी, वहीं मुझे शुभम मिला था। शुभम ने मेरे साथ शादी करना चाहती थी इसलिए मैं दिनांक 19.02.2026 को 6.30 बजे घर से बिना बताए निकल गई। गोपीगंज गई, शुभम मिला, हम लोग इलाहाबाद गए, वहां से ट्रेन से सूरत गए। वहां हम लोग अगले दिन पहुंचे, वहां से उसके भाई के रुम पर गए। फिर उसका भाई हम लोगों को वापस भदोही ले आया। उसके भाई का नाम मुझे नहीं मालूम। मेरे और शुभम के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने थे। मैं अपने मर्जी से गई थी। शुभम मुझे भगा कर से नहीं ले गया। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले शादी से मान गये हैं। शुभम अच्छा है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। "

8. प्रथम दृष्टया प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपनी पुत्री/ पीड़िता को भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। पीड़िता ने अपने बयान धारा 180 बी०एन०एस०एस० में कहा है कि वह शुभम से एक वर्ष से बातें करती थी। दिनांक 19.02.2026 को सुबह 06.30 बजे के आस पास वह अकेले घर से बिना किसी बताये गोपीगंज आयी, जहाँ शुभम मिला फिर दोनों बस से इलाहाबाद स्टेशन पहुंचे और वहाँ से ट्रेन से सूरत गये। जहाँ रास्ते में शुभम का भाई उन्हें पकड़ लिया और दिनांक 24.02.2026 को साथ लेकर सूरत स्टेशन पहुंचा और वहाँ से ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहीं धारा–183 बी०एन०एस०एस० के बयान में भी पीड़िता कथन किया है कि वह अभियुक्त शुभम से प्यार करती, शादी करना चाहती थी इसलिए दिनांक 19.02.2026 को 06.30 बजे गोपीगंज आकर शुभम से मिली और उसके साथ इलाहाबाद गयी और वहाँ से सूरत आ गयी, जहाँ उसके भाई मिला और उन लोगों को वापस भदोही लाया। उनके बीच कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं बना था। वह अपनी मर्जी से गयी थी, शुभम उसे भगाकर नहीं ले गया था। जिससे प्रथम दृष्टया दर्शित होता है कि पीड़िता द्वारा स्वयं अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ जाना कहा गया है,न कि अभियुक्त के द्वारा बहलाये फुसलाये जाने पर उसके साथ जाना कहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने धारा–180 बी०एन०एस०एस० के बयान में प्रश्न पूछे जाने पर जहाँ अपनी मर्जी से शारीरिक सम्बन्ध बनाया जाना कहा है, वहीं धारा–183 बी०एन०एस०एस० के बयान में शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनने का कथन किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया पीड़िता के किये गये कथनों में गंभीर विरोधाभास होना दर्शित होता है।

09. ऐसी स्थिति में उपरोक्त मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना अभियुक्त के जमानत का आधार पर्याप्त है। तदानुसार प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

10. प्रार्थी/अभियुक्त शुभम बिन्द की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 39 सन 2026 अन्तर्गत धारा–137(2), 87 बी०एन०एस० थाना– ज्ञानपुर, जिला भदोही में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है–

1. **अभियुक्त के द्वारा पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो सक्षम प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।**
2. अभियुक्त अन्वेषण के दौरान उपस्थित रहेगा और विवेचना में सहयोग करेगा।

3. अभियुक्त किसी प्रकार साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा अथवा साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

4. अभियुक्त साक्षीगणों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

5. अभियुक्त उसी प्रकृति का अपराध जिसका कि किये जाने का उसपर अभियोग है पुनः वह अपराध नहीं करेगा।

6. यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़े जाने के बाद उपस्थित नहीं होता है तो लोक अभियोजक अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन देने हेतु स्वतंत्र होगा।

11. चूंकि अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। अतः इस जमानत आदेश की एक प्रति जरिए ई –मेल अधीक्षक जिला कारागार ज्ञानपुर को अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए।

(लोकेश कुमार मिश्र)
दिनांक 13.03.2026
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश /
पॉक्सो प्रथम, ज्ञानपुर–भदोही।

Digitally signed by Lokesh Kumar Mishra
Date: 2026.03.31 10:00:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court